कार्यालय कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (मध्यप्रदेश)

सर्किट हाउस के पास, शहडोल– 484001 फोन नं0–07652–245555 फैक्स नं0 241222
E-Mail- commshahdol@mp.gov.in, commissionershahdol@gmail.com

क्रमांक/फा.क 03–2013/वि.जांच–राजस्व/2017/4977 शहडोल,दिनांक 2 दिसम्बर 2017

प्रति,

सचिव,
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर

विषय– प्रकरण कमांक 90/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–9–2010 के प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति बावत।

विषयान्तर्गत अपीलार्थी श्री गंगा पिता गोजा राठौर निवासी बेला तहसील/जिला अनूपपुर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर के प्र.क. 57/अपील/2008–2009 आदेश दिनांक 30–09–2009 के विरूद्व इस न्यायालय में संहिता की धारा 44 (2) के तहत अपील प्रस्तुत की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर का आदेश व तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण कमांक 4/अ–6–अ/2006–07 आदेश दिनांक 31–10–2006 का आदेश निर्धारित, सर्वमान्य प्रक्रिया का घोर उल्लंघन व मूलभूत सिद्वांत की अवहेलना किये जाने से दोनों अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश को श्री प्रदीप खरे तत्कालीन कमिश्नर शहडोल व्दारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 10/अपील/2009–2010 में पारित आदेश दिनांक 30–09–2010 तथा तहसीलदार अनूपपुर का आदेश दिनांक 31–10–2006 का पारित आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया था। साथ ही आदेश की प्रतिलिपि राज्य शासन को संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजी गई थी। इस सम्बन्ध में शासन व्दारा पत्र कमांक एफ–7–99/10/सात/4 ए भोपाल दिनांक 7–12–2010 के माध्यम से इस कार्यालय को सम्बोधित पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के अधिकार संभागीय आयुक्त को प्रदत्त होना लेख कर संबंधितों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दीर्घशास्ति का प्रस्ताव होने पर शासन को भेजने का लेख किया गया था।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री अवधेश प्रताप सिंह तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनूपपुर को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 2308 दिनांक 7–4–2014 व श्री बिहारी सिंह तत्कालीन तहसीलदार अनूपपुर को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 2309 दिनांक 7–4–2014 जारी कर जबाब लिया गया। श्री अवधेश प्रताप सिंह का अनूपपुर का प्रस्तुत जबाब यह था कि–आचरण नियमों के अनुरूप ही शासन हित में फर्जी पट्टाधारी से जमीन वापस लेकर "म0प्र0 शासन" दर्ज करने संबंधी तहसीलदार का आदेश यथावत रखा गया था, मेरे व्दारा आचरण नियमों के विपरीत कोई कार्य नहीं किया गया है जारी कारण बताओ नोटिस नस्तीबद्व करने का अनुरोध किया गया था। इसी अनुक्रम में श्री बिहारी सिंह तत्कालीन तहसीलदार अनूपपुर का जबाब दिनांक 3–5–2014 मुख्य रूप से यह था कि प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26–10–2006 को आगामी तिथि नियत की गई थी किन्तु उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका में लिपकीय भूल के कारण दिनांक 11–10–2006 को आगामी सुनवाई तिथि 26–10–2006 के बजाय 19–10–2006

Politak

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-रिव्यू/0751/अनुपपूर/भू.रा./19

म.प्र.शासन विरूद्ध गंगा राठौर

(1)	(2)	(3)
27.08.19	प्रकरण प्रस्तुत। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा पत्र क्रमांक फा.क्र 03-2013/वि.जांच-राजस्व/2017/4977 दिनांक 20/12/2017 के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करते हुए श्री प्रदीप खरे तत्कालीन आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा प्रकरण क्रमांक 90/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30/9/10 के प्रकरण में पुर्नविलोकन की अनुमति शासन हित में चाही गई है। प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न:- 1. प्र.क्र. 90/अ-6/आ.दि. 30/9/2010 2. रा.मं.म0प्र0ग्वालियर के प्र.क्र. 1114/2014 आ.दि. 20/5/2014 3. सचिव म0प्र0शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र./एफ-7-37/2014/सात-4 ए भोपाल दिनांक 15/9/2014 4. कलेक्टर अनूपपुर का पत्र क्र. 2031/दि.22/4/2017 की छाया प्रतियां।	

प्रस्तुत प्रकरण का मेरे द्वारा परीक्षण किया गया म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 यथा संशोधित दिनांक 25/09/2018 धारा 51 के अंतर्गत पर्याप्त आधार होने से संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए तत्कालीन कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा प्र.क्र. 90/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2010 वर्तमान कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल के पुर्नविलोकन करने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि प्रकरण में सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदत्त करते हुए गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया जाए। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर